न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

उपस्थित :– **(वीरेन्द्र कुमार चौबे)**
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
–सह विशेष न्यायाधीश, किशोर न्यायालय,
मधेपुरा ।

A.B.P. No.-211/2026
फुलौत थाना कांड सं.–11 / 2025

1- नितीश कुमार राय उर्फ कारे मंडल उम्र करीब 25 वर्ष पिता दिनेश मंडल
(साकिन –फुलौत पुर्वी वार्ड नं0–06, थाना–फुलौत एवं जिला–मधेपुरा)

.....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार .....ओ.पी.।

07-03-2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त **नितीश कुमार राय उर्फ कारे मंडल** के द्वारा फुलौत थाना कांड संख्या–11 / 2025 अन्तर्गत धारा 352,351(2),(3),76 बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r)(s) SC/ST Act में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान विद्वान लोक अभियोजक श्री चन्द्रशेखर यादव को दी जा चुकी है।

सूचक लुचो ऋषिदेव के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामल संक्षेप में यह है कि दिनांक–14.05.2025 को दोपहर के दो बजे उसकी नावालिग पुत्री पुनम कुमारी पिता लूचो ऋषिदेव उम्र 16 वर्ष बहियार दियारा में घास लाने गयी थी। उसी समय उसे अकेली देखकर कारे मंडल आये और उसकी पुत्री को जोर जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींचते हुये घने मकई के खेत में ले जाने लगा। उसने कहा कि आज वह उसके इज्जत से खेलूँगा। इतना सुनते हीं उसकी पुत्री जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब आसपास के खेतिहर मजदूर दौड़े। प्रमिला देवी किसी तरह उसके चुंगल से बचाकर कारे मंडल लोगों को जमा होते देखा तो वहाँ से भाग गया। जब उसकी पुत्री ने घर जाकर उसे सारी घटना बताई तो उसने लोगों को बताना शुरू किया। गाँव के गणमान्य लोगों के कहने पर पंचायत होने का इंतजार करने लगा लेकिन पंचायत नहीं हो सका। इस कारण आवेदन विलंब से दिया। जब वह कारे मंडल को पूछने गया तो वह उसे और परिवार को जाति सूचक गाली मुसहरा उसका इतना हिम्मत हो गया कि वह उसे चेताने आ गया। चुप चाप यहाँ से चले जाओ नहीं तो गोली मार देगे। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्त के विरूद्व फुलौत थाना कांड सं.–11 / 2025 अन्तर्गत धारा 352,351(2),(3),76 बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r)(s) SC/ST Act के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

7/3/26

मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रकांत झा द्वारा यह अभिवाचित किया गया है कि आवेदक पुर्णतः निर्दोष है उनके द्वारा प्राथमिकी में लगाये गये अभियोग का अपराध कारित नहीं किया गया है। इस आवेदक को गाँव की गंदी राजनीति एवं द्वेष के कारण इस मुकदमा में झुठा फँसाया गया है। यह झुठा एवं मनगढंत मुकदमा आवेदक के दुश्मनों के इशारे पर मात्र आवेदक को परेशान व प्रताड़ि करने के उद्देश्य से दर्ज करवाया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि सूचक की पुत्री जो पीड़िता है वह आवेदक के खेत में घास काट रही थी और जब आवेदक घास काटने से रोका और उसके हाथ से कचिया छीन लिया तो वह हमला करने लगी और उस पर झुठा अभियोग लगा दिया । प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलंब किया गया है। घटना की तिथि 14.

07-03-2026
लगातार.....

05.2025 बतलायी गयी और पुलिस के समक्ष सूचना दिनांक– 16.05.2025 को दिया गया है। प्राथमिकी में जो धाराएँ लगाये गये है उसका मुकदमा इस आवेदक के विरूद्व नहीं बनता है। आवेदक के फरार होने या साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक अभियुक्त न्यायालय की संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री चन्द्रशेखर यादव, द्वारा उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहे हैं कि प्रस्तुत मामला आवेदक अभियुक्त द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 से बाधित है। अतः मामले के गुणा–गुण पर विचार किये ही बिना पोषणीयता के बिन्दु पर खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा औपचारिक प्राथमिकी, सूचक के लिखित आवेदन, एवं कांड दैनिकी के सुसंगत कंड़िकाओं का अवलोकन किया। सूचक के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्त के विरूद्व यह अभियोग लगाया गया है कि आवेदक अभियुक्त द्वारा सूचिका की पुत्री जो दियरा घास लाने गयी थी उसे जोर–जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींचते हुए, घने मकई के खेत ले जाकर इज्जत लूटने का प्रयास करने एवं सूचक द्वारा पूछने पर उसे जाति सूचक शब्द मुसहरा से गाली–गलौज करते हुए गोली मारने का धमकी देने का आरोप है। कांड़ दैनिकी के पैरा–2 में वादी का पुनः बयान, पैरा– 6,7,8,9 में साक्षी मंटु ऋषिदेव, रूबी देवी, बिमला देवी, सदानन्द ऋषिदेव ने प्राथमिकी के अनुसार घटना का समर्थन किया है। पैरा– 44 पर्यवेक्षण टिप्पणी में आवेदक अभियुक्त के विरूद्व मामला सत्य पाया गया है। कांड़ दैनिकी के पैरा– 89 में पीड़िता का बयान अंकित कराया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व अनुसंधान जारी है। धारा SC/ST Act के अन्तर्गत दण्डनीय प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विवेचना के आधार पर यह न्यायालय पाती है कि आवेदक अभियुक्त द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तुत आवेदन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 में वर्णित प्रावधानों से वाधित है। अतः ऐसी स्थिति में जमानत मंजूर करने या न करने का प्रश्न ही नहीं है, परिणामस्वरूप उक्त आवेदन पोषणीयता के बिन्दु पर ही प्रस्तुत मामले के गुणा–गुण पर विचार किये बिना ही आवेदक अभियुक्त **नितीश कुमार राय उर्फ कारे मंडल** का अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
Virendra Kr Chaubey
7/3/26

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
सह–स्पेशल जज, मधेपुरा।